न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 36/2021

ज्योति टेलर पत्नी श्री लोकेश कुमार टेलर एडवोकेट निवासी प्लाट न. 52 श्रीश्याम विहार–ए नियर राजपूतान स्कूल ग्राम मान्यावास, मानसरोवर जयपुर राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक

––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 11–11–2021**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 14–09–2021 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी :–

भूमि किस्मः बारानी, ग्राम व पटवारी हल्का व भू.अ.नि. क्षेत्र–राणोली, तहसील पीपलू जिला टोंक राजस्थान राज्य में स्थित खसरा नम्बर 48, खाता संख्या 499 पुराना खाता संख्या 477 का सन् 1960 से लेकर 14.09.2021 तक की सम्पूर्ण पत्रावली प्रदान करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुए। अपील प्रा0पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक द्वारा पत्र कमांकः आर.टी. आई/2021/2894 दिनांक 08–11–2021 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सुचना इस कार्यालय के पत्रांक 2770 दिनांक 01.10.2021 द्वारा ख.स. 48 वाके ग्राम राणोली तहसील पीपलू का सन् 1960 से लेकर दिनांक 14.09.2021 तक की सम्पूर्ण पत्रावलियां चाहे जाने पर जिस रूप में सूचना चाही गई है उस रूप में इस कार्यालय में संधारित नही होने के कारण उपलब्ध नही करवाई जा सकती अपीलार्थी को जरिये डाक से सूचित किया जा चुका है, जिसकी छाया प्रति जवाब के साथ संलग्न की गई है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना के सम्बन्ध में जवाब भिजवाया जा चुका हैं। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी पीपलू तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:52:42 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एवं जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)